कार्यालय अधिश्ठाता, कृशि महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

MkW- ,p-,l- dq३kokg
vf/kᵘBkrk
d`f"k egkfolky;] Xokfy;j

0751-2341691 (O)
0751-2343166 (R)
E-mail : deanagri@rediffmail.com
deanagri12@yahoo.com

dza-@vf/k-@ 2007@ Xokfy;j] fnukad 25.08.2007

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.)
जिला – ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के क्रियान्वयन हेतु 17 बिन्दुओं की जानकारी का विवरण पत्रक प्रेषित हेतु ।

संदर्भः कलेक्टर जिला ग्वालियर का पत्र क्रं. क्यू./एस.सी.2/14–15/115/2006/13684 दिनांक 23 अगस्त 07 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के क्रियान्वयन हेतु 17 बिन्दुओं की जानकारी का विवरण पत्रक, सी.डी. संलग्न कर जानकारी आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न : प्रपत्र छः एवं सीडी एक ।

अधिष्ठाता

dza-@vf/k-@ 2007@ Xokfy;j] fnukad 25.08.2007

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ–

1. कुलसचिव, लोक सूचना अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर ।

अधिष्ठाता

कार्यालय अधिश्ठाता, कृशि महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

MkW- ,p-,l- dq'kokg
vf/k"Bkrk
d`f"k egkfo|ky;] Xokfy;j

0751-2341691 (O)
0751-2343166 (R)
E-mail : deanagri@rediffmail.com
deanagri12@yahoo.com

dza-@vf/k-@ 2007@ Xokfy;j] fnukad 25.08.2007

प्रति,

कलेक्टर
जिला – ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के क्रियान्वयन हेतु 17 बिन्दुओं की जानकारी का विवरण पत्रक प्रेषित हेतु ।

संदर्भः आपका पत्र कं. क्यू./एस.सी.2/14–15/115/2006/13684 दिनांक 23 अगस्त 07

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के क्रियान्वयन हेतु 17 बिन्दुओं की जानकारी का विवरण पत्रक, सी.डी. संलग्न कर जानकारी आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न : प्रपत्र छः एवं सीडी एक ।

अधिष्ठाता

dza-@vf/k-@ 2007@ Xokfy;j] fnukad 25.08.2007

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ–

2. कुलसचिव, लोक सूचना अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर ।

अधिष्ठाता

कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र)

क्रमांक / अधि. / 2005 / दिनांक 26.12.2005

प्रति,

उपकुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,

जबलपुर (म.प्र.)

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के क्रियान्वयन हेतु 17 बिन्दुओं की जानकारी का विवरण पत्रक प्रेषित हेतु ।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक / गोप. / 05 / 729, दिनांक 11.10.2005 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के क्रियान्वयन हेतु 17 बिन्दुओं की जानकारी का विवरण पत्रक, सी.डी. संलग्न कर एवं उक्त जानकारी ई–मेल द्वारा आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न : प्रपत्र छः एवं सीडी एक ।

अधिष्ठाता

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के कियान्वयन हेतु 17 बिन्दुओं की जानकारी का विवरण पत्रक

बिन्दु कं. 1 संगठन का विवरण तथा कर्त्तव्य

उत्तर – भारत शासन द्वारा गणित राधाकृष्णन आयोग 1949, इण्डो–अमेरिकन स्टडी टीम्स (1954–1959) एवं कमिंग कमीशन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार म.प्र. विधानसभा ने 1963 में विधेयक पारित किया था । तदानुसार 2 अक्टूबर 1964 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । जवाहर लाल नेहरू कृषि वि.वि. के अन्तर्गत 7 कृषि महाविद्यालय जिनमें से एक कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर भी एक प्रांगण है । कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के द्वारा वि.वि. की नीति के अनुसार कृषि शिक्षा, कृषि विस्तार एवं कृषि अनुसंधान सेवाओं को एकीकरण कर कार्य सम्पादित किया जाता है । कृषि महाविद्यालय का कार्य क्षेत्र, ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग जिसको की गिर्द जोन के नाम से जाना जाता है । इस क्षेत्र में आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र मुरैना, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, बागवई एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर, मुरैना, आरोन, भिण्ड आते है । कृषि महाविद्यालय प्रशासन का ध्येय अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कृषि/उद्यानिकी का सर्वांगीण विकास करना ताकि यह क्षेत्र प्रदेश में सम्मान जनक स्थान प्राप्त कर सकें ।

महाविद्यालय प्रशासन सर्वांगीण उन्नति के लिये सदैव तत्पर है तथा इसे पूर्ण करने में हमारी आस्था एवं दृढ़ संकल्प है ।

बिन्दु कं. 2 अधिकारी एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्त्तव्य

उत्तर – महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों के नाम पदनाम तथा कर्त्तव्यों की जानकारी निम्नुसार है –

(1) अधिष्ठाता
(2) विभाग प्रमुख
(3) प्राध्यापक, सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक
(4) प्रशिक्षण आयोजक
(5) प्रक्षेत्र प्रभारी
(6) सहायक यंत्री

(1) अधिष्ठाता –

कृषि महाविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी है । महाविद्यालय में पदस्थ अधिकारियों वैज्ञानिकों/कर्मचारियों पर समान प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं । अधिष्ठाता वि.वि. के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जैसे अधिष्ठाता, कृषि संकाय, निदेशक विस्तार सेवायें, निदेशक अनुसंधान सेवायें एवं संचालक शिक्षण के आदेशों के अनुरूप अनुसंधान सेवायें एवं संचालक शिक्षण के आदेशों के अनुरूप वि.वि. के निर्देशों का पालन करते हुये प्रशासनिक कार्य देखते है ।

(2) विभाग प्रमुख –

अपने विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक अनुसंधान एवं विस्तार कार्य के लिये उत्तरदायी है । अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्य सम्पादन करते है ।

(3) प्राध्यापक, सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक –

विभाग प्रमुख के आदेशानुसार शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विस्तार कार्य का सम्पादन करते हैं ।

(4) प्रशिक्षण आयोजक –

अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त के निर्देशन में कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन करते है ।

(5) प्रक्षेत्र प्रभारी –

अधिष्ठाता के निर्देशन में प्रक्षेत्र का संचालन करते है ।

(6) सहायक यंत्री –

वि.वि. के आदेशों का अधिष्ठाता के निर्देशन में पालन करते है ।

बिन्दु क्रं. 3 कार्यालय में अपनायी जाने वाली निर्णय प्रकिया

महाविद्यालय में अपनायी जाने वाली निर्णय प्रक्रिया की जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) कुलपति द्वारा अग्रेषित/अनुमोदित ↓	वापसी
(2) जिसके अंतर्गत अधिष्ठाता, कृषि संकाय, निदेशक अनुसंधान एवं विस्तार सेवायें/ कुलसचिव/लेखा नियंत्रक द्वारा अग्रेषित	कुलपति
	अधिष्ठाता कुलसचिव/लेखा नियंत्रक, कृषि संकाय, निदेशक अनुसंधान/विस्तार सेवायें
(3) अधिष्ठाता द्वारा अग्रेषित/अनुमोदित	अधिष्ठाता
(4) विभाग प्रमुख स्थापना/लेखा शाखा/शैक्षणिक शाखा/प्रक्षेत्र/विधि शाखा/के.वी.के./वर्क सेक्शन	विभाग प्रमुख स्थापना/लेखा शाखा
(5) आवक/जावक महाविद्यालय में प्राप्त डाक ↑	आवक/जावक द्वारा भेजना

टीप – शासन/संस्था/आवेदक से प्राप्त डाक आवक जावक शाखा द्वारा खोली जाकर छटाई की जाती है । फिर पेड में बांधकर अधिष्ठाता के अवलोकनार्थ भेजी जाती है, तत्पश्चात अधिष्ठाता की टीप के बाद संबंधित शाखाओं को डाक पंजी में दर्ज कर संबंधित को वितरित की जाती है ।

बिन्दु कं. 4 सन्नियकों का निर्धारण कृत्य के निवेदन के लिए

उत्तर – महाविद्यालय में आवक जावक शाखा द्वारा डाक की छटनी का कार्य उसी दिन कर लिया जाता है ।

(1) आवश्यक डाक अधिष्ठाता के अवलोकनार्थ उसी दिन प्रस्तुत की जाती है ।
(2) अधिष्ठाता की टीप के आधार पर डाक संबंधित विभाग को भेजी जाती है ।
(3) विभाग में डाक अधिकारी के निर्देशानुसार सहायक द्वारा अधिकतम सात दिवस में संबंधित नस्ती पर प्रस्तुत की जाती है ।
(4) विभाग की अधिकारी की टीप के पश्चात तीन दिनों के अंदर अधिष्ठाता के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।
(5) अधिष्ठाता द्वारा दो दिनों के अंदर निर्णय लेकर नस्ती वापिस की जाती है । यदि जानकारी कही से प्राप्त की जाना हो तो स्मरण पत्र भेजे जाते है । अंतिम निर्णय तक डाक नियमानुसार शाखा में सुरक्षित रखी जाती है ।

चयन प्रकिया – सभी पदों के लिये चयन ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर के स्तर पर किया जाता है ।

बिन्दु कं. 5 नियमन, निर्देश, निर्देषिकों और रिकार्ड अभिनिर्धारित या नियंत्रण में या उसके कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए इस्तेमाल होने के लिए ।

उत्तर – वि.वि./महाविद्यालय द्वारा उपयोग में आने वाले अधिनियम, नियम, रेग्यूलेशन एवं मेनूयल की जानकारी निम्नानुसार है –

(1) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 ।
(2) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिनियम 1964 ।
(3) अतिरिक्त परिनियम 1989 ।

बिन्दु कं. 6 दस्तावेजों के प्रवर्गीकरण का कथन जो अनिर्धारित या नियंत्रण में हो ।

उत्तर – महाविद्यालय द्वारा किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची की जानकारी ।

(1) गोपनीय अभिलेख नष्ट नहीं किये जाते ।
(2) अन्य उपयोगी दस्तावेज, संदर्भ आदि का विनिष्टीकरण वि.वि. के आदेश के . उपरांत ही किया जाता है ।
(3) छटनी/विनिष्टीकरण किये गये दस्तावेज अभिलेखागार के पंजी में अंकित कर . इनकी तारीख अंकित की जाती है ।

विभिन्न अनुभागों द्वारा अभिलेखों के संधारण की अवधि के लिए निर्देश

(1) स्थापना शाखा
(2) विधि शाखा
(3) लेखा नियंत्रक शाखा

(4) सामान्य शाखा
(5) परीक्षा शाखा
(6) विज्ञापन शाखा

इनका संधारण शासन के नियमानुसार किया जाता है ।

बिन्दु क्रं. 7 सार्वजनिक सदस्यों से नीतियों के विनिमित के संबंध में परामर्श करने की व्यवस्था का विवरण ।

उत्तर – निरंक

बिन्दु क्रं. 8 कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड/परिषद समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता गठन संबंधी आदेश चार्टेर / अनुबंध से संबंधी जानकारी बैठक आहूत करने संबंधी शासन के निर्देश आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी जाए ।

उत्तर – निरंक

बिन्दु क्रं. 9 एवं 10 कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम पदनाम वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी । यह जानकारी कार्यालय / कार्यालय दोनों जगह उपलब्ध होगी ।

उत्तर – मुख्य अधिकारियों एवं कर्मचारी की जानकारी

S. No.	Name of employee	Post	Pay scale (Rs.)
1	Dr. H.S. Kushwaha	Dean	16400-22400
2	Dr. S.S. Tomar	H/s Agronomy	16400-22400
3	Dr. K.P.S. Malik	H/s Plant Breeding	16400-22400
4	Dr. S. Jain	I/c Farm	8000-13500
5	Dr. V.K. Shrivastava	D.D.O.	12000-18300
6	Dr. R.A.S. Tomar	H/s Soil Science	16400-22400
7	Dr. S.K. Latoria	H/s Extension	16400-22400
8	Dr. J.S. Raghuvanshi	H/s Economics	16400-22400
9	Dr. R.S. Kushwah	T.O. KVK	12000-18300
10	Dr. (Mrs.) Reeti Singh	H/s Plant Pathology	12000-18300
11	Dr. S.S. Bhadoria	H/s Dairy Technology	12000-18300
12	Dr. M.S. Kakran	H/s Statictics	12000-18300
13	Dr. K.N. Nagaich	H/s Horticulture	12000-18300
14	Dr. H.S. Bhadoria	H/s Engineering	12000-18300
15	Dr. N.M. Paradkar	H/s Botany	12000-18300
16	Sh. S.K. Vishwkarma	Asstt. Engineer	8000-13500
17	Sh. M.S. Sheopurkar	Asstt. Gr. II	4500-7000

बिन्दु क्रं. 11 कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार बजट आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी दी जावेगी । सूचना के अधिकार – 2005 से संबंधित प्रपत्र भरने संबंधी बिन्दु–11 बजट से संबंधित जानकारी ।

उत्तर – समय–समय पर विभिन्न मदों में आवंटित बजट का उपयोग किया जाता है ।

बिन्दु क्रं. 12 सहायक कार्य के निष्पादन के तरीके आवंटित धन राशि तथा उस कार्य से लाभावन का विवरण

उत्तर – निरंक

बिन्दु क्रं. 13 छूट अनुज्ञा के प्राप्तिकर्ता का विवरण जिन्हें प्रदान किया गया है ।

उत्तर – निरंक

बिन्दु क्रं. 14 विश्वद्यिालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची श्रेणी तथा उनकी प्रकृति । हार्ड कापी इलेक्ट्रॉनिक

उत्तर –
(1) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध रहेगी ।
(2) महाविद्यालय के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के पास रहेगी ।
(3) पुस्तकालय में जानकारी उपलब्ध रहेगी ।

बिन्दु क्रं. 15 सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण । पुस्तकालय के कार्यालयीन समय का विवरण यदि आम जनता के लिए हों ।

उत्तर – निरंक

बिन्दु क्रं. 16 लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी दी जाती है ।

उत्तर – विश्वविद्यालय के आदेश क्र. गोप./05/728 दिनांक 11.10.2005 के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर डॉ. एच.एस. कुशवाहा, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर को लोक सूचना अधिकारी एवं डॉ. राज सिंह कुशवाह, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किये गये हैं ।
डॉ. व्ही.एस. तोमर, अधिष्ठाता कृषि संकाय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के लिये अपीलीय अधिकारी होगे ।

बिन्दु क्रं. 17 अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो तो उस जानकारी का भी आलेखन किया जाये ।

उत्तर – (1) आवश्यकता पडने पर उसका उल्लेख किया जायेगाा ।
(2) शासन द्वारा निर्धारित शुल्क महाविद्यालय में देय होगा ।